

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2019—माघ 5, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. ई-5-575-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. एन. मिश्रा, आयएएस., प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को दिनांक 21 से 23 जनवरी 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री एस. एन. मिश्रा की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे, विकअ-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. एन. मिश्रा द्वारा प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एन. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-856-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती छबि भारद्वाज, आयएस., कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती छबि भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2018

क्र. ई-1-124-2018-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मई 2018 द्वारा श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भा.पु.से. (2010) की सेवाएं गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेकर जनसंपर्क विभाग को सौंपते हुए उन्हें संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भा.पु.से. (2010) संचालक, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल की सेवाएं तत्काल प्रभाव से गृह विभाग को लौटाई जाती हैं।

क्र. ई-1-308-2018-5-एक.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2010 के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष के आधार पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2019 से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade) रुपये 78800—209200 (पे मेट्रिक्स-12) स्वीकृत किया जाता है:—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)
1	श्री अनय द्विवेदी	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
2	श्री गणेश शंकर मिश्रा	कलेक्टर, जिला सीहोर
3	श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल
4	श्री कैशलेन्द्र विक्रम सिंह	कलेक्टर, जिला विदिशा
5	श्री तरूण राठी	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं महाप्रबंधक (कार्मिक), मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (अ. प्र.) तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अ. प्र.)
6	श्री कर्मवीर शर्मा	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
7	श्री अनुराग चौधरी	कलेक्टर, जिला सिंगरौली
8	श्री भास्कर लक्षकार	कलेक्टर, जिला गुना
9	श्री अभिजीत अग्रवाल	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
10	श्री आशीष सिंह	आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इन्दौर (अ. प्र.)
11	श्रीमती षण्मुख प्रिया मिश्रा	कलेक्टर, जिला रायसेन
12	श्री छोटे सिंह	कलेक्टर, जिला भिण्ड
13	श्री अक्षय कुमार सिंह	कलेक्टर, जिला निवाड़ी
14	श्री दिनेश श्रीवास्तव	अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर
15	श्रीमती सपना निगम	अपर आयुक्त (राजस्व), ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

(1)	(2)	(3)
16	श्री दीपक कुमार सक्सेना	कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर
17	श्री अनिल कुमार खरे	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
18	श्री रामप्रताप सिंह जादौन	कलेक्टर, जिला दतिया
19	श्री बसंत कुर्रे	कलेक्टर, जिला श्योपुर
20	श्री संदीप कुमार माकिन	अपर आयुक्त, परिवहन, ग्वालियर
21	श्री सुरेश कुमार	सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
22	श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे	सचिव, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), मध्यप्रदेश, भोपाल
23	श्री शीलेन्द्र सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर.

(2) उपरोक्त भागसे अधिकारियों में से जिन अधिकारियों द्वारा मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम पूर्ण कर लिया है, को छोड़कर शेष अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वे वर्ष 2019 में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में अनिवार्यतः भाग लेंगे.

क्र. ई-1-313-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भागसे के आवंटन वर्ष 2015 के अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2019 से भागसे का वरिष्ठ समय वेतनमान रुपये 67,700—2,08,700/- (पे मेट्रिक्स-11) स्वीकृत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)
1	सुश्री संस्कृति जैन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मऊगंज, जिला रीवा
2	सुश्री अदिति गर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देपालपुर, जिला इन्दौर
3	श्री पार्थ जैसवाल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शुजालपुर, जिला शाजापुर
4	श्री रौशन कुमार सिंह	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी, जिला बालाघाट
5	श्री मृणाल मीना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सबलगढ़, जिला मुरैना
6	श्री हर्ष सिंह	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), केवलारी, जिला सिवनी
7	सुश्री रानी बंसल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागली, जिला देवास
8	श्री हर्षल पंचोली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेटलावद, जिला झाबुआ
9	श्री हिमांशु चन्द्र	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा
10	श्री रितुराज	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवसर, जिला सिंगरौली
11	श्री अर्पित वर्मा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चुरहट, जिला सीधी
12	श्री बालागुरु के.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्परजगढ़, जिला अनूपपुर

(2) यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई-1-317-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के आवंटन वर्ष 2003 के अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान रुपये 1,44,200—2,18,200/- (पे मेट्रिक्स-14) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. संजय गोयल, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल.	सदस्य, राजस्व मण्डल
2	श्री निशांत वरवडे, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल.	मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल.	सदस्य, राजस्व मण्डल
3	श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, विदेश प्रशिक्षण पर.	विदेश प्रशिक्षण पर	—
4	श्री नरेन्द्र सिंह परमार, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल.	—
5	श्री मधुकर आग्नेय, अपर आयुक्त (राजस्व) रीवा संभाग रीवा.	वि. क. अ.-सह-अपर आयुक्त (राजस्व) रीवा संभाग, रीवा.	सदस्य, राजस्व मण्डल
6	श्री राजीव शर्मा, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा उप प्रशासक, राजधानी परियोजना भोपाल.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा उप प्रशासक, राजधानी परियोजना भोपाल.	—
7	श्री मुकेश कुमार शुक्ला, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.	—
8	श्रीमती अलका श्रीवास्तव, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.	—

(2) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रभावशील होंगे.

क्र. ई-1-315-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के आर्वटन वर्ष 2006 के अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2019 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 1,23,100—2,15,900/- (पे मेट्रिक्स-13) स्वीकृत किया जाता है एवं खाना (3) में दर्शित पद पर पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	नाम अधिकारी एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, कलेक्टर, जिला भोपाल.	कलेक्टर, जिला भोपाल	—
2	श्री धनंजय सिंह भदौरिया (विदेश प्रशिक्षण पर).	विदेश प्रशिक्षण पर	—
3	श्री सभाजीत यादव, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	—
4	श्री आशकृत तिवारी, अपर आयुक्त (राजस्व), नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद.	अपर आयुक्त (राजस्व) नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद.	—
5	श्री बाबूसिंह जामौद, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	—
6	श्री अनिल सुचारी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
7	श्री मालसिंह भयडिया, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय	—
8	श्री रवि डफरिया, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	—

(2) यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई-1-348-2018-5-एक.—श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के असंवर्गीय पद को

क्र. ई-1-444-2017-5-एक.—राज्य शासन, एतद्वारा नीचे तालिका के खाना (2) में अंकित अधिकारी, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2018-एआईएस (I)-बी, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक (3) में दर्शाए रा.प्र.से. संवर्ग के संवर्गीय पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से उक्त असंवर्गीय पद को उक्त अधिकारी के इस पद पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भा. प्र. से. (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित खाना (4) में दर्शाये गये भा. प्र. से. के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना (3) में अंकित पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :—

तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम	भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम	भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है।
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अशोक कुमार चौहान	अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

क्र. ई-5-897-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. के. जैन, आयएस., आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 4 से 11 जनवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री जे. के. जैन की अवकाश अवधि में श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे, अपर आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जे. के. जैन द्वारा आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जे. के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-353-2018-5-एक.—श्रीमती भावना वालिम्बे, भाप्रसे (2008), अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1019-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, (2015) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चुरहट, जिला सीधी को दिनांक 27 दिसम्बर 2018 से 10 जनवरी 2019 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चुरहट, जिला सीधी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1037-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष तिवारी, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोलारस, जिला शिवपुरी को दिनांक 28 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, नौ

दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष तिवारी, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोलारस, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष तिवारी, आयएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष तिवारी, आयएस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-233-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे मेट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री आई.सी.पी. केशरी (1988), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष राजस्व मंडल

(2) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रभावशील होगा।

क्र. ई. 1-354-2016-5-एक.—श्री अनिरुद्ध मुखर्जी, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा वि.क.अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं प्रबंध संचालक दी प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-940-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजीव शर्मा, आयएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 7 से 18 जनवरी 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. ई. 13-55-2018-5-एक.—राज्य शासन द्वारा श्री दीपक सिंह, भाप्रसे (2007), कलेक्टर जिला धार को National University of Singapore में दिनांक 5 से 8 जनवरी, 2019 तक Urban Challenges with an emphasis on Environmental & Social Issues in Cities विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेने हेतु सिंगापुर जाने की अनुमति के साथ दिनांक 3 से 11 जनवरी 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश (जिसमें दिनांक 5 से 8 जनवरी 2019 तक की अवधि एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में) दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1002-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेश कुमार कौल, भाप्रसे (2007), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये) को दिनांक

28 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कौल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार कौल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार कौल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-1040-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुशी जिला धार को दिनांक 21 से 31 दिसम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुशी जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अंशुल गुप्ता, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुल गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. ई-1-07-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री एम. बी. ओझा (2001), कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय
2	श्री अजीत कुमार (2002), आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन
3	श्री शशांक मिश्रा (2007), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन. मंत्रालय	कलेक्टर जिला उज्जैन
4	श्री मनीष सिंह (2009), कलेक्टर, जिला उज्जैन.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2019

क्र. ई-5-859-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भरत यादव, आयएस., कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री भरत यादव की अवकाश अवधि में श्री दिनेश श्रीवास्तव, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री भरत यादव द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव, भाप्रसे, कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2019

क्र. ई-1-6-2019-5-एक.—श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे (2016), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महू, जिला इन्दौर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-353-2018-5-एक.—श्रीमती भावना वालिम्बे, भाप्रसे (2008), अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपायुक्त, पर्यटन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2019

क्र. ई-5-883-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनय द्विवेदी, आयएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को दिनांक 2 से 8 जनवरी 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनय द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनय द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-887-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिजीत अग्रवाल, आयएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को दिनांक 3 से 11 जनवरी 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-899-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री महेश चन्द्र चौधरी, आयएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय को दिनांक 4 से 11 जनवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-928-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग वर्मा, आयएस., आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर को दिनांक 2 से 11 जनवरी 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग वर्मा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग वर्मा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग वर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1018-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री रानी बंसल, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागली, जिला देवास को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री रानी बंसल, आयएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागली, जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री रानी बंसल, आयएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रानी बंसल, आयएस अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-1020-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री अदिती गर्ग, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देपालपुर, जिला इन्दौर को दिनांक 7 से 11 जनवरी 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2019 एवं दिनांक 12, 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री अदिती गर्ग, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देपालपुर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री अदिति गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अदिति गर्ग अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1065-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दिनेश श्रीवास्तव, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 8 से 15 जनवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री दिनेश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 19-01-2006-एक-4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खण्ड (K), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के पद पर श्री बसंत प्रताप सिंह, भा.प्र.से. (1984) को दिनांक 1 जनवरी 2019 से 06 वर्ष या 66 वर्ष की आयु पूर्ण होने, जो पहले हो, तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभांशु कमल, अपर मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. ई-1-351-2018-5-एक.— श्री सुधि रंजन मोहंती, भा.प्र.से. (1982), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश को श्री बसंत प्रताप सिंह, भा.प्र.से. (1984), मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की

दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को सेवानिवृत्ति उपरान्त अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव "कार्मिक"।

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. ई-5-479-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2018 द्वारा 10 से 12 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 10 से 11 दिसम्बर 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-873-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल (वर्तमान में कलेक्टर, जिला सीधी) को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2018 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-880-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहनलाल मीणा, आयएस., संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश को दिनांक 3 से 10 अक्टूबर 2018 तक, आठ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री मोहनलाल मीणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहनलाल मीणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2019

क्र. ई-5-560-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, उद्योग नीति एवं प्रोत्साहन विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते

हुए, अब, उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई.-5-1084-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार को दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. एफ-1(ए) 28-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक (दक्षिण), भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2018 से 7 जनवरी 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में परिवार सहित गृह नगर जलगांव (महाराष्ट्र) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री राहुल कुमार लोढ़ा	—	स्वयं
2.	श्रीमती शुभि	—	पत्नी
3.	कु. स्वरा	—	पुत्री

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक (दक्षिण), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2019

क्र. एफ 1(ए)116-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर को दिनांक 10 जनवरी से 10 फरवरी 2019 तक, बत्तीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य सेनानी 15वीं वाहिनी विसबल इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2019

क्र. एफ 1-98-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल को "Yoshida International school in Colombo, Sri Lanka" में दिनांक 5 से 7 जनवरी 2019 तक स्कूल में आयोजित वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों को सम्बोधित करने हेतु श्रीलंका की विदेश यात्रा (Ex-India Tour) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश यात्रा के दौरान महाबोधी सोसायटी ऑफ श्रीलंका का आतिथ्य स्वीकार करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) यात्रा से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर भापुसे, यात्रा पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2019

क्र. एफ 1(ए)155-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सायबर एवं विशेष अभियान (गुप्तवार्ता), पु. मु., भोपाल को दिनांक 13 से 19 जनवरी 2019 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री निरंजन व्ही. वायंगणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, सायबर पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, सायबर एवं विशेष अभियान (गुप्तवार्ता), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2019

क्र. एफ-1(ए) 68-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री रविशंकर डेहरिया, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल को दिनांक 24 एवं 26 से 29 दिसम्बर 2018 तक, कुल पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 23, 25 तथा 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वर्ड करते हुए) अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार सहित दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) भ्रमण एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाता है :-

- | | | | |
|----|-----------------------|---|-------|
| 1. | श्री रविशंकर डेहरिया | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती बबीता डेहरिया | — | पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रविशंकर डेहरिया, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रविशंकर डेहरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रविशंकर डेहरिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2019

क्र. एफ 1(ए)131-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री आनन्द प्रकाश सिंह, भापुसे, सेनानी, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 10 से 17 सितम्बर 2018 तक, आठ दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से सोलह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द प्रकाश सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री आनन्द प्रकाश सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द प्रकाश सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)162-1994-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आदर्श कटियार, भापुसे, अति. महानिदेशक, रा.अ.अ. ब्यूरो, पु.मु., भोपाल को दिनांक 4 से 11 फरवरी 2019 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 3 फरवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कटियार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, रा.अ.अ. ब्यूरो, पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आदर्श कटियार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदर्श कटियार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)58-2015-ब-2-दो.—श्री हितेश चौधरी, भापुसे, सेनानी 36वीं वाहिनी, विसबल, बालाघाट को दिनांक 10 से 24 दिसम्बर 2018 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश एवं दिनांक 08-09 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हितेश चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 36वीं

वाहिनी, विसबल, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हितेश चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हितेश चौधरी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)126-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री रूडोल्फ अलवारेज भापुसे., पुलिस अधीक्षक, जिला-भिण्ड को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 4 जनवरी 2019 तक, बारह दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रूडोल्फ अलवारेज, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, पुलिस अधीक्षक, जिला-भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रूडोल्फ अलवारेज, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रूडोल्फ अलवारेज, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2019

फा. क्र. 52-इक्कीस-ब(दो) 2019.—राज्य शासन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये श्री राजेन्द्र तिवारी, महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश को उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

फा. क्र. 52-इक्कीस-ब(दो) 2019.—राज्य शासन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये निम्नानुसार

विधि पदाधिकारियों को उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक नियुक्त करता है:—

अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर

1. श्री शंशांक शेखर दुगवेकर
2. श्री अजय गुप्ता

अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर

1. श्री रविन्द्र छाबड़ा

अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर

1. श्री अंकुर मोदी

उप महाधिवक्ता, जबलपुर सम्बद्ध-नई दिल्ली

1. श्री वरूण कुमार चोपड़ा
2. श्री वैभव श्रीवास्तव

क्र. 145-इक्कीस-ब(दो)2019.—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री एच. जी. रमेश, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नामांकित करता है।

No. 145-XXI-B(Two)-2019.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh in consultaion with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri H. G. Ramesh, Judge, Madhya Pradesh Hight Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority from the date of his assuming charge of the office.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2019

फा. क्र. 2019-इक्कीस-ब(एक)83.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 21 दिसम्बर 2018 को मान्य करते हुए, श्री अमन मलिक, सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 9 जनवरी 2019 के अपराह्न से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2019

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 82.—(प्रतीक्षा सूची क्र. 02), राज्य शासन श्री संजय अग्रवाल पुत्र स्व.

श्री अमीचन्द अग्रवाल मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 1994 (यथा संशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला भिवानी (हरियाणा) है। उसकी जन्मतिथि 02 मार्च, 1972 है।

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2019

फा. क्र. 214-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन श्री राजाराम बदोड़िया, XII ADJ, जिला जबलपुर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार

श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल के स्थान पर सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-15-2013-छब्बीस-2.—राज्य शासन, द्वारा, विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3-06-2012-छब्बीस-2, दिनांक 20 जनवरी 2012 द्वारा श्री बालेन्दु शुक्ल, पूर्व विधायक, निवासी, ग्वालियर को किया गया मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

“यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा”।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अलका श्रीवास्तव, अपर सचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2019

क्र. 15-21-2019-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	छतरपुर	छतरपुर	श्रीमती सोनाली शर्मा, JMFC

No. 15-21-2019-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof

for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chhatarpur	Chhatarpur	Smt. Sonali Sharma, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. 311-157-16.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 17-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, इन्दौर क्र. 2 में लम्बित निम्नानुसार प्रकरणों को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, इन्दौर क्रमांक 1 में स्थानांतरित किया जाता है:—

1. वर्ष 2008 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण
2. वर्ष 2010 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण
3. वर्ष 2012 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण
4. वर्ष 2014 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण
5. वर्ष 2016 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2019

क्र. 311-204-17.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 17-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, भोपाल क्र. 1 में लम्बित निम्नानुसार प्रकरणों को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, भोपाल क्रमांक 2 में स्थानांतरित किया जाता है:—

1. वर्ष 2010 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण
2. वर्ष 2012 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण
3. वर्ष 2014 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण
4. वर्ष 2016 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2019

क्र. 311-205-17.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 17-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, जबलपुर क्र. 2 में लम्बित निम्नानुसार प्रकरणों को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, जबलपुर क्रमांक 1 में स्थानांतरित किया जाता है:—

1. वर्ष 2017 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,

हरेन्द्र सिंह, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

क्र. 12367-एस. डब्ल्यू.-2018.—मै, के. वी. एस. चौधरी, कलेक्टर, जिला कटनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला कटनी (म. प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-2(क)-15-99-बी-3-दो भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)9-08-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर थानों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित किये जाने से जिला स्तरीय समिति द्वारा कटनी जिले में पुलिस चौकी बाकल के निम्नलिखित ग्रामों को पुलिस थाना बाकल में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची अनुसार एवं पुलिस चौकी रंगनाथ नगर के वार्डों को थाना रंगनाथ नगर में सम्मिलित किये जाने की सूची अनुसार अधिसूचना प्रकाशित करता हूँ:—

पुलिस थाना बाकल में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1	बाकल
2	इमलिया
3	सिहुडी
4	खम्हरिया
5	मंगेला
6	पिपरिया राजा
7	पटोरीकला
8	राजा सलैया
9	अमाडी
10	चनपुरा
11	कूड़ा (मर्दानगढ़)
12	खमतारा
13	मझगवां
14	निगझर
15	अगौध
16	पटौहा
17	बघराज
18	बासन
19	बरबसपुरा
20	मढ़िया
21	नगवां
22	संकरवारा
23	मर्दानगढ़
24	सिकारपुरा
25	कुम्हरवारा
26	खुर्सी
27	रतनपुरा
28	छुरिया

(1)	(2)
29	टिकरिया
30	नयागांव
31	हाथीभार जंगल
32	गौरहा
33	पटीरजा
34	रक्सेहा
35	मसंधा
36	छपरी
37	रैपुरा नन्हा
38	नैगवां
39	चांदनखेड़ा
40	बढ़ैयाखेड़ा
41	धुमची पटौरी
42	धवाड़ीखेड़ा
43	साडा
44	मोहतारा
45	खजुरी
46	बरतरा
47	बरतरी
48	मनगवां
49	गाड़ा
50	पाकर
51	नयागांव
52	खखरा
53	पटना
54	बसेहड़ी
55	क्वेलरहा
56	सलैयाखुर्द
57	हाथीभार
58	कछारगांव
59	चरगवां
60	कंचनपुरा

पुलिस थाना रंगनाथ नगर में सम्मिलित किये जाने वाले वार्डों की सूची :

क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	मदनमोहन चौबे वार्ड
2	पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड
3	वंशरूप वार्ड
4	सी.एल.पी. वार्ड
5	रामनिवास सिंह वार्ड
6	कावस जी वार्ड
7	फारेस्टर वार्ड
8	विवेकानंद वार्ड
9	रामकृष्ण परमहंस वार्ड
10	राजेन्द्र पसाद वार्ड

के. वी. एस. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. 286-2018-न्या. लि.-532.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) व मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 2(क) 15-99-बी.3-दो भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2-(क)-9-08-बी-3 दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, समिति की बैठक दिनांक 7 जनवरी 2019 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण हुए इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:—

एक:—नीचे दी गयी सारणी के कालम (1) में उल्लिखित पुलिस थाने से उसके (सारणी) के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.

दो:—सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लिखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:—

अनुसूची

रामनगर चौकी में सम्मिलित ग्रामों/मोहल्लों की सूची

क्र.	नाम थाना	प्रस्तावित चौकी में शामिल ग्राम/मोहल्लों के नाम	आबादी	क्षेत्रफल	वर्तमान थाने से ग्रामों/मोहल्लों की दूरी व दिशा	प्रस्तावित चौकी से ग्रामों/मोहल्लों की दूरी व दिशा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सिटी कोतवाली	रामनगर	40000	25 वर्ग	02 किमी	0 किमी
2	सिटी कोतवाली	चिराखदान	लगभग	किमी.	03 किमी	आधा किमी
3	सिटी कोतवाली	वारको सिटी			03 किमी	आधा किमी
4	सिटी कोतवाली	सर्वोदय कालोनी			01 किमी	आधा किमी
5	सिटी कोतवाली	सिद्धीपुरम			01 किमी	आधा किमी
6	सिटी कोतवाली	कृष्णयादव नगर			01 किमी	आधा किमी
7	सिटी कोतवाली	कंचन नगर			01 किमी	आधा किमी
8	सिटी कोतवाली	अवस्थी चौराहा			01 किमी	आधा किमी
9	सिटी कोतवाली	कृषि महाविद्यालय			01 किमी	आधा किमी
10	सिटी कोतवाली	अनमोल विहार			01 किमी	आधा किमी
11	सिटी कोतवाली	विटठल नगर			01 किमी	आधा किमी
12	सिटी कोतवाली	पोस्टमेन कालोनी			01 किमी	आधा किमी
13	सिटी कोतवाली	माताचौक			01 किमी	आधा किमी
14	सिटी कोतवाली	नर्मदापुरम			01 किमी	आधा किमी
15	सिटी कोतवाली	नारायणनगर			01 किमी	आधा किमी
16	सिटी कोतवाली	जगदम्बानगर			01 किमी	आधा किमी
17	सिटी कोतवाली	लक्ष्मीनगर			01 किमी	आधा किमी
18	सिटी कोतवाली	ग्राम जसवाड़ी			10 किमी	08 किमी
19	सिटी कोतवाली	ग्राम बेड़ियाव			11 किमी	09 किमी
20	सिटी कोतवाली	ग्राम भण्डारिया			03 किमी	2 किमी
21	सिटी कोतवाली	ग्राम ठिठियाजोशी			05 किमी	03 किमी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	सिटी कोतवाली	ग्राम दिपला			15 किमी	13 किमी
23	सिटी कोतवाली	ग्राम हापला			15 किमी	13 किमी
24	सिटी कोतवाली	ग्राम तीरंदाजपुर			06 किमी	04 किमी
25	सिटी कोतवाली	ग्राम लोहारी			12 किमी	10 किमी
26	सिटी कोतवाली	ग्राम लाड़नपुर			07 किमी	05 किमी
27	सिटी कोतवाली	ग्राम टिगरियाव			12 किमी	10 किमी
28	सिटी कोतवाली	ग्राम बमनगांव			08 किमी	06 किमी
29	सिटी कोतवाली	ग्राम खड़की			12 किमी	10 किमी
30	सिटी कोतवाली	ग्राम सेंगवाल			15 किमी	13 किमी

रामेश्वर चौकी में सम्मिलित ग्रामों/मोहल्लों की सूची

क्र.	नाम थाना	प्रस्तावित चौकी में शामिल ग्राम/मोहल्लों के नाम	आबादी	क्षेत्रफल	वर्तमान थाने से ग्रामों/मोहल्लों की दूरी व दिशा	प्रस्तावित चौकी से ग्रामों/मोहल्लों की दूरी व दिशा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मोघटरोड	सुभाष नगर	61640	लगभग 45 वर्ग कि.मी.	01 किमी	
2	मोघटरोड	रेल्वे कालोनी			01 किमी	आधा किमी
3	मोघटरोड	शास्त्री नगर			01 किमी	आधा किमी
4	मोघटरोड	दीनदयालपुरम			02 किमी	01 किमी
5	मोघटरोड	बेडेकर कालोनी			02 किमी	01 किमी
6	मोघटरोड	पीएनटी कालोनी			02 किमी	01 किमी
7	मोघटरोड	रामेश्वर रोड			01 किमी	0 किमी
8	मोघटरोड	चम्पा नगर			01 किमी	आधा किमी
9	मोघटरोड	एलआईजी कालोनी			01 किमी	01 फर्लांग
10	मोघटरोड	एमआईजी कालोनी			01 किमी	आधा किमी
11	मोघटरोड	लवकुश नगर			01 किमी	01 किमी
12	मोघटरोड	तिलक नगर			01 किमी	02 किमी
13	मोघटरोड	आजाद नगर			01 किमी	01 किमी
14	मोघटरोड	आनंद नगर			02 किमी	आधा किमी
15	मोघटरोड	मेडिकल कालोनी			02 किमी	आधा किमी
16	मोघटरोड	बी.टी.आई. कोलनी			ढाई किमी	1 किमी
17	मोघटरोड	आई.टी.आई. कोलनी			ढाई किमी	01 किमी
18	मोघटरोड	पॉलीटेक्निक कालोनी			ढाई किमी	01 किमी
19	मोघटरोड	सेठी नगर			01 किमी	01 किमी
20	मोघटरोड	नवचंडी नगर			01 किमी	आधा किमी
21	मोघटरोड	शकुन नगर			02 किमी	01 किमी
22	मोघटरोड	प्रोफेसर कालोनी			02 किमी	आधा किमी
23	मोघटरोड	किशोर नगर			02 किमी	01 किमी
24	मोघटरोड	अशोक नगर			ढाई किमी	01 किमी
25	मोघटरोड	परदेशीपुरा			आधा किमी	01 फर्लांग
26	मोघटरोड	मीठाराम नगर			01 किमी	01 किमी
27	मोघटरोड	शुक्ला कालोनी			02 किमी	01 किमी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	मोघटरोड	ब्रज नगर			02 किमी	01 किमी
29	मोघटरोड	ग्राम मथेला	440		8 किमी	8 किमी
30	मोघटरोड	ग्राम गोकुलगांव	1100		10 किमी	10 किमी
31	मोघटरोड	ग्राम पिपल्या तहार	1500		6 किमी	6 किमी
32	मोघटरोड	ग्राम बड़गांव भीला	1200		4 किमी	3 किमी
33	मोघटरोड	ग्राम सुरगांव निपानी	1000		10 किमी	11 किमी
34	मोघटरोड	ग्राम बड़ियातुला	1100		12 किमी	12 किमी
35	मोघटरोड	ग्राम सिहाड़ा	8300		8 किमी	8 किमी

करौली चौकी में सम्मिलित ग्रामों/मोहल्लों की सूची

क्र.	नाम थाना	प्रस्तावित चौकी में शामिल ग्राम/मोहल्लों के नाम	आबादी	क्षेत्रफल	वर्तमान थाने से ग्राम/मोहल्लों की दूरी व दिशा किमी में	प्रस्तावित चौकी से ग्राम/मोहल्लों की दूरी व दिशा किमी में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मांधाता	करौली	1100	—	30	0
2	मांधाता	कामनखेड़ा	511	—	33	3
3	मांधाता	घोघलगांव	700	—	37	7
4	मांधाता	टौंकी	678	—	33	03
5	मांधाता	एखंड	1714	—	28	2
6	मांधाता	पालडी	डूब क्षेत्र	—	45	15
7	मांधाता	मसलाय	452	—	24	6
8	मांधाता	लौंदी	275	—	24	6
9	मांधाता	बिलाया	600	—	24	6
10	मांधाता	पिपल्या	350	—	21	9
11	मांधाता	गुंजली	2465	—	25	5
12	मांधाता	घोंसली	700	—	18	12
13	मांधाता	सुकवा	डूब क्षेत्र	—	50	20
14	मांधाता	गोल	2300	—	30	2

चौकी मोरटक्का में सम्मिलित ग्रामों/मोहल्लों की सूची

क्र.	नाम थाना	प्रस्तावित चौकी में शामिल ग्राम/मोहल्लों के नाम	आबादी	क्षेत्रफल	वर्तमान थाने से ग्राम/मोहल्लों की दूरी व दिशा	प्रस्तावित चौकी से ग्राम/मोहल्लों की दूरी व दिशा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मांधाता	मोरटक्का माफी	2900	06 कि.मी.	17 कि.मी.	उत्तर पश्चिम 04 कि.मी.
2	मांधाता	खेड़ीघाट	1000	02 कि.मी.	16 कि.मी.	उत्तर 04 कि.मी.
3	मांधाता	मोरटक्का	1020	04 कि.मी.	15 कि.मी.	0 कि.मी.
4	मांधाता	कटार	310	05 कि.मी.	20 कि.मी.	उत्तर पश्चिम 07 कि.मी.
5	मांधाता	बिल्लौरा	625	04 कि.मी.	08 कि.मी.	पूर्व उत्तर 10 कि.मी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	मांधाता	बाघनगर	75	03 कि.मी.	08 कि.मी.	पूर्व उत्तर 11 कि.मी.
7	मांधाता	थापना	1800	05 कि.मी.	08 कि.मी.	पूर्व उत्तर 08 कि.मी.
8	मांधाता	मोरघड़ी कॉलोनी	2250	05 कि.मी.	12 कि.मी.	पूर्व 03 कि.मी.
9	मांधाता	मोरघड़ी कॉलोनी	2128	02 कि.मी.	12 कि.मी.	पूर्व 02 कि.मी.
10	मांधाता	इनपुन पुनर्वास	3500	07 कि.मी.	11 कि.मी.	पूर्व 03 कि.मी.
11	मांधाता	भोगावा	3600	07 कि.मी.	09 कि.मी.	पूर्व 05 कि.मी.

विशेष गढ़पाले, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बैतूल, मध्यप्रदेश

क्रमांक-एस.डब्ल्यू-2019-214

बैतूल, दिनांक 9/10 जनवरी 2019

नवीन स्वीकृत पुलिस चौकी पाठर, थाना कोतवानी स्थापना हेतु अपवर्जित किये जाने वाले ग्रामों की सूची

क्र.	उस पुलिस थाने का नाम-तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है	गांव/मोहल्ले का नाम	वर्तमान थाने का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	जनसंख्या	वार्षिक अपराध
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	थाना कोतवाली बैतूल, तहसील व जिला-बैतूल	पाठर	कोतवाली बैतूल	8	6648	12
2		पीसाजोडी		3	1212	3
3		कुप्पा		4	1279	7
4		बंजरवाड़ा		3	762	3
5		मेढ़ापानी		4	1025	2
6		मर्दवानी रैयत		6	1456	5
7		ढोलीढाना		6	1056	4
8		माथनी		5	1122	5
9		कुम्हारिया		6	1300	5
10		धौल		3	847	8
11		लावन्या		5	1032	6
12		बडगीखुर्द		6	1911	8
13		बडगीबुजुर्ग		3	865	4
14		कल्याणपुर		2	612	5
15		गोहची		3	795	2
16		रावनवाडी		2	520	3
17		गजपुर		7	1259	7
18		नयेगांव		1	160	6
19		बासपानी		6	1123	3
20		ठानी		2	425	1
21		उमरवानी		4	1090	7
22		सिल्लौट		7	2100	8
23		बोरगांव		4	896	6

तरूण कुमार पिथोड़े, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्रमांक 283-भू-अर्जन-2018

राजगढ़, दिनांक 11 जनवरी 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक F - 22/03/2017-18/लसि/31/1154, दिनांक 29.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुन्दरपुरा तालाब तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम सुन्दरपुरा, बागरीपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि सुन्दरपुरा तालाब का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील :- ब्यावरा

जिला-राजगढ़

सुन्दरपुरा तालाब के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम सुन्दरपुरा, बागरीपुरा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुन्दरपुरा	47.288	31.285
2	बागरीपुरा	2.540	0.220
कुलयोग :-		49.828	31.505

सुन्दरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम सुन्दरपुरा एवं बागरीपुरा

तहसील :- ब्यावरा

जिला :- राजगढ़

ग्राम सुन्दरपुरा				
स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	देवचन्द्र पिता नारान रामसिंह ना. बा. माता तंतबाई बेवा नारान जाति मेहतर पता नि. ग्राम भू स्वामी	23/11	0.506	0.211
	योग	1	0.506	0.211
2	बद्री आ गंगाधर जाति गाडरी पता नि. ग्राम भू स्वामी	28/1	0.506	0.346
	योग	1	0.506	0.346
3	रमेश आ नन्दराम जाति गाडरी पता नि. ग्राम भू स्वामी	28/2	0.506	0.197
	योग	1	0.506	0.197
4	प्रेमसिंह आ रामलाल जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी	29/2	0.506	0.253
		49	0.822	0.698
	योग	2	1.328	0.951
5	मानसिंह आ प्रेमसिंह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी	29/3/1	0.854	0.436
		33	0.974	0.974
	योग	2	1.828	1.410
6	मंजुबाई पति मांगीलाल जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी	29/3/2	1.359	0.488
	योग	1	1.359	0.488
7	देवचन्द्र पिता प्यारा जाति चमार पता नि. ग्राम भू स्वामी	29/4	2.023	0.864
	योग	1	2.023	0.864
8	भंवरलाल पिता धूलजी भगवानसिंह पिता नारानसिंह जाति सोदिया पता नि. ग्राम कुण्डीखेडा भू स्वामी	30	1.265	0.418
	योग	1	1.265	0.418
9	मांगीलाल पिता दोलजी जाति सोदिया पता नि. ग्राम भू स्वामी	31	0.936	0.936
		32	1.126	1.126
		34	1.063	1.063
	योग	3	3.125	3.125
10	मांगीलाल पिता प्यारजी जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी	43	1.543	0.300
	योग	1	1.543	0.300
11	लक्ष्मीनारायण पर्वत पिता रंगलाल घीसीबाई पुत्री रंगलाल जाति नाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	44	0.228	0.120
		45	0.746	0.100
	योग	2	0.974	0.220
12	प्रेमबाई, धापूबाई पिता गोपीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भू स्वामी	48	1.366	0.962
	योग	1	1.366	0.962
13	कृष्णलालसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	50	0.114	0.114
	योग	1	0.114	0.114
14	शुभमसिंह परमार पिता महेशचन्द्रसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	51	1.972	1.972
	योग	1	1.972	1.972

15	रामदयालसिंह पिता शिवदयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	52/1	0.091	0.091
		54/1	0.841	0.841
	योग	2	0.932	0.932
16	विक्रमसिंह पिता शिवदयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	52/2	0.369	0.369
		योग	1	0.369
17	महेन्द्रसिंह पिता शिवदयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	52/3	0.091	0.091
		54/2	0.841	0.841
	योग	2	0.932	0.932
18	राजेन्द्रसिंह पिता शिवदयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	52/4	0.952	0.792
		योग	1	0.952
19	गिरीराजसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	53	0.860	0.860
		योग	1	0.860
20	देवराजसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	55	0.632	0.632
		योग	1	0.632
21	नारानसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	56	2.162	2.162
		योग	1	2.162
22	विवेकसिंह पिता रणविरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	57	2.162	2.162
		योग	1	2.162
23	कुं. रणविरसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	59/1	2.970	2.970
		योग	1	2.970
24	हरेन्द्रसिंह पिता रणविरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	59/2	3.000	3.000
		योग	1	3.000
25	भंवरलाल शिवनारायण रामलाल पिता मांगीलाल कमलाबाई जमनीबाई पुत्री मांगीलाल छीतर पिता पून्या जाति लोदा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	60	0.506	0.396
		योग	1	0.506
26	हरिसिंह आ रामलाल नोरंगबाई प. हरिसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	62	0.379	0.260
		63	0.316	0.316
		योग	2	0.695
27	धीरपसिंह आ. मांगीलाल, अजबबाई प. धीरजसिंह जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/1	0.600	0.160
		योग	1	0.600
28	पूनमचन्द्र आ. माधुजी, अनारबाई पत्नि पूनमचन्द्र जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/2	0.600	0.072
		योग	1	0.600
29	हेमराज आ. जालम जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/3	0.600	0.240
		योग	1	0.600
30	सुरेश आ. प्रेमसिंह जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/4	0.600	0.260
		योग	1	0.600
31	भंवरलाल आ. रतनलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/5	0.600	0.260
		योग	1	0.600

32	कंबरलाल आ. चेना, चन्दाबाई प. कंबरलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/6	0.600	0.190
	योग	1	0.600	0.190
33	जगदीश आ. बन्नीराम, कलावाई प. जगदीश जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/8	0.600	0.058
	योग	1	0.600	0.058
34	मांगीलाल आ. प्रभु, रेशमबाई प. मांगीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	81/2	0.666	0.470
	योग	1	0.666	0.470
35	रामप्रसाद आ. बन्नीलाल, कान्तीबाई प. रामप्रसाद जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	81/3	0.667	0.270
	योग	1	0.667	0.270
36	कंबरलाल पिता नाथूलाल, सीमाबाई पति कंबरलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	81/4	0.667	0.270
	योग	1	0.667	0.270
37	मांगू आ देवजी, सुमित्राबाई प. मांगू जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	84/1	0.563	0.500
	योग	1	0.563	0.500
38	भंवरलाल आ नाथू, शान्तिबाई प. भंवरलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	84/2	0.563	0.500
	योग	1	0.563	0.500
39	सरीफ बालिक सईद पिता अकबर ना.बा. माता रुस्तम पुत्र पीरु जाति फकीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	96	0.240	0.100
	योग	1	0.240	0.100
40	रूपसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	97	0.240	0.013
		36	1.164	0.036
	योग	2	1.404	0.049
41	नारानसिंह आ प्रेमसिंह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी	35	1.404	0.358
		46	0.367	0.060
	योग	2	1.771	0.418
42	फून्दिया पिता दोलाजी जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	42	1.960	0.107
	योग	1	1.960	0.107
	कुल योग	52	47.288	31.285

ग्राम :- बागरीपुरा

1	चैनसिंह पिता प्रभुलाल जाति लोदा पता नि. ग्राम सुन्दरपुरा भूमि स्वामी	36/1	1.022	0.020
	योग	1	1.022	0.020
2	राजू आ नन्तूलाल जाति लोदा पता नि. ग्राम भू स्वामी	36/2/1	1.518	0.200
	योग	1	1.518	0.200
	कुल योग	2	2.540	0.220
	महायोग	54	49.828	31.505

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक-35-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2018

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2019

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक	नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है।
दो	सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्र		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है	
	ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक			
(1)	(2)		(3)	
पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोबस्तन0 वार्ड क्र0	पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल	
	1	विधायक विश्राम गृह		33
	2	सतपुडा भवन		33
	3	विध्याचल		33
	4	मंत्रालय		33
	5	विधान सभा		33
	6	भीमनगर बस्ती		33
	7	ओम नगर		33
	8	वल्लभ नगर		33
	9	सतपुड भवन झुग्गी		33
	10	नेपाली मोहल्ला		33
	11	मराठी मोहल्ला		33
	12	ग्वाला मोहल्ला		33
	13	रोशनपुरा		24
14	कुम्हारपुरा बस्ती	33		
	15	मालवीय नगर क्षेत्र	33	
	16	राज भवन	24	
	17	पुरानी विधन सभा	33	
	18	पुलिस कंट्रोल रूम	33	

क्रमांक-35-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक	नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है।
दो	सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्र ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है
(1)	(2)		(3)
	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोबस्तनं० वार्ड क्र०	
पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल	1	विधायक विश्राम गृह	पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल
	2	सतपुडा भवन	
	3	विध्याचल	
	4	मंत्रालय	
	5	विधान सभा	
	6	भीमनगर बस्ती	
	7	ओम नगर	
	8	वल्लभ नगर	
	9	सतपुड भवन झुग्गी	
	10	नेपाली मोहल्ला	
	11	मराठी मोहल्ला	
	12	ग्वाला मोहल्ला	
	13	रोशनपुरा	
	14	कूम्हारपुरा बस्ती	
	15	मालवीय नगर क्षेत्र	
	16	राज भवन	
	17	पुरानी विधन सभा	
	18	पुलिस कंट्रोल रूम	

क्रमांक-35-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक	नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं।
दो	सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्र ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है	
(1)	(2)		(3)	
पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोबस्त नं० वार्ड क्र०	पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल	
	1	विधायक विश्राम गृह		33
	2	सतपुडा भवन		33
	3	विध्याचल		33
	4	मंत्रालय		33
	5	विधान सभा		33
	6	भीमनगर बस्ती		33
	7	ओम नगर		33
	8	वल्लभ नगर		33
	9	सतपुड भवन झुग्गी		33
	10	नेपाली मोहल्ला		33
	11	मराठी मोहल्ला		33
	12	ग्वाला मोहल्ला		33
	13	रोशनपुरा		24
14	कुम्हारपुरा बस्ती	33		
	15	मालवीय नगर क्षेत्र	33	
	16	राज भवन	24	
	17	पुरानी विधन सभा	33	
	18	पुलिस कंट्रोल रूम	33	

क्रमांक-35-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक	नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है।
दो	सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्र का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है	
	(1)	(2)		(3)
पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोबस्तन ⁰ वार्ड क्र ⁰	पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल	
	1	विधायक विश्राम गृह		33
	2	सतपुडा भवन		33
	3	विध्याचल		33
	4	मंत्रालय		33
	5	विधान सभा		33
	6	भीमनगर बस्ती		33
	7	ओम नगर		33
	8	वल्लभ नगर		33
	9	सतपुड भवन झुग्गी		33
	10	नेपाली मोहल्ला		33
	11	मराठी मोहल्ला		33
	12	ग्वाला मोहल्ला		33
	13	रोशनपुरा		24
14	कुम्हारपुरा बस्ती	33		
	15	मालवीय नगर क्षेत्र	33	
	16	राज भवन	24	
	17	पुरानी विधन सभा	33	
	18	पुलिस कंट्रोल रूम	33	

क्रमांक-35-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक	नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है।
दो	सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्र		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है
	ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक		
(1)	(2)		(3)
	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोबस्त नं० वार्ड क्र०	
पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल	1	विधायक विश्राम गृह	पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल
	2	सतपुडा भवन	
	3	विध्याचल	
	4	मंत्रालय	
	5	विधान सभा	
	6	भीमनगर बस्ती	
	7	ओम नगर	
	8	वल्लभ नगर	
	9	सतपुड भवन झुग्गी	
	10	नेपाली मोहल्ला	
	11	मराठी मोहल्ला	
	12	ग्वाला मोहल्ला	
	13	रोशनपुरा	
	14	कुम्हारपुरा बस्ती	
	15	मालवीय नगर क्षेत्र	
	16	राज भवन	
	17	पुरानी विधन सभा	
	18	पुलिस कंट्रोल रूम	

क्रमांक-35-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक	नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है।
दो	सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्र		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है	
	ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक			
(1)	(2)		(3)	
पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोबस्तनं० वार्ड क्र०	पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल	
	1	विधायक विश्राम गृह		33
	2	सतपुडा भवन		33
	3	विध्याचल		33
	4	मंत्रालय		33
	5	विधान सभा		33
	6	भीमनगर बस्ती		33
	7	ओम नगर		33
	8	वल्लभ नगर		33
	9	सतपुड भवन झुग्गी		33
	10	नेपाली मोहल्ला		33
	11	मराठी मोहल्ला		33
	12	ग्वाला मोहल्ला		33
	13	रोशनपुरा		24
14	कुम्हारपुरा बस्ती	33		
	15	मालवीय नगर क्षेत्र	33	
	16	राज भवन	24	
	17	पुरानी विधन सभा	33	
	18	पुलिस कंट्रोल रूम	33	

क्रमांक-35-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक	नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है।
दो	सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्र का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है	
	(1)	(2)		(3)
पुलिस थाना जहोंगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोबस्तनं0 वार्ड क्र0	पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल	
	1	विधायक विश्राम गृह		33
	2	सतपुडा भवन		33
	3	विंध्याचल		33
	4	मंत्रालय		33
	5	विधान सभा		33
	6	भीमनगर बस्ती		33
	7	ओम नगर		33
	8	वल्लभ नगर		33
	9	सतपुड भवन झुग्गी		33
	10	नेपाली मोहल्ला		33
	11	मराठी मोहल्ला		33
	12	ग्वाला मोहल्ला		33
	13	रोशनपुरा		24
14	कुम्हारपुरा बस्ती	33		
	15	मालवीय नगर क्षेत्र	33	
	16	राज भवन	24	
	17	पुरानी विधन सभा	33	
	18	पुलिस कंट्रोल रूम	33	

क्रमांक-35-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक	नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है।
दो	सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्र		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है
	ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक		
(1)	(2)		(3)
	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोबस्तनं० वार्ड क्र०	
पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल	1	विधायक विश्राम गृह	पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल
	2	सतपुडा भवन	
	3	विध्याचल	
	4	मंत्रालय	
	5	विधान सभा	
	6	भीमनगर बस्ती	
	7	ओम नगर	
	8	वल्लभ नगर	
	9	सतपुड भवन झुग्गी	
	10	नेपाली मोहल्ला	
	11	मराठी मोहल्ला	
	12	ग्वाला मोहल्ला	
	13	रोशनपुरा	
	14	कुम्हारपुरा बस्ती	
	15	मालवीय नगर क्षेत्र	
	16	राज भवन	
	17	पुरानी विधन सभा	
	18	पुलिस कंट्रोल रूम	

क्रमांक-35-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक	नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है।
दो	सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्र		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है
	ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक		
(1)	(2)		(3)
	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोबस्त नं० वार्ड क्र०	
पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल	1	विधायक विश्राम गृह	पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल
	2	सतपुडा भवन	
	3	विध्याचल	
	4	मंत्रालय	
	5	विधान सभा	
	6	भीमनगर बस्ती	
	7	ओम नगर	
	8	वल्लभ नगर	
	9	सतपुड भवन झुग्गी	
	10	नेपाली मोहल्ला	
	11	मराठी मोहल्ला	
	12	ग्वाला मोहल्ला	
	13	रोशनपुरा	
	14	कृम्हारपुरा बस्ती	
	15	मालवीय नगर क्षेत्र	
	16	राज भवन	
	17	पुरानी विधन सभा	
	18	पुलिस कंट्रोल रूम	

क्रमांक-35-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक	नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है।
दो	सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्र का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है	
	(1)	(2)		(3)
पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोबस्तनं० वार्ड क्र०	पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल	
	1	विधायक विश्राम गृह		33
	2	सतपुडा भवन		33
	3	विध्याचल		33
	4	मंत्रालय		33
	5	विधान सभा		33
	6	भीमनगर बस्ती		33
	7	ओम नगर		33
	8	वल्लभ नगर		33
	9	सतपुड भवन झुग्गी		33
	10	नेपाली मोहल्ला		33
	11	मराठी मोहल्ला		33
	12	ग्वाला मोहल्ला		33
	13	रोशनपुरा		24
14	कुम्हारपुरा बस्ती	33		
	15	मालवीय नगर क्षेत्र	33	
	16	राज भवन	24	
	17	पुरानी विधन सभा	33	
	18	पुलिस कंट्रोल रूम	33	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम पी. खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2019

क्रमांक-35-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2018.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. क्रमांक-35-जे.सी.-1-भोपाल-2018, दिनांक 17 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम पी. खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

No. 35-J.C.I.-Collector-Bhopal-2018

17th January 2019

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K)9/08/B-3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA		Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No ,Ward No		
(1)	(2)		(3)
	Name of Villages,	Settlement, No	
Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal	1. MLA Rest House	ward No 33	Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal
	2. Satpura Bhavan	ward No 33	
	3. Vindhyachal	ward No 33	
	4. Vallabh Bhavan	ward No 33	
	5. Vidhan Sabha	ward No 33	
	6. Bhim Nagar Basti	ward No 33	
	7. Om Nagar	ward No 33	
	8. Vallabh Nagar	ward No 33	
	9. Satpura Bhavan Juggi	ward No 33	
	10. Nepali Mohalla	ward No 33	
	11. Marathi Mohalla	ward No 33	
	12. Gwala Mohalla	ward No 33	
	13. Roshanpura	ward No 24	
	14. Kumharpura Basti	ward No 33	
	15. Malviya Nagar	ward No 33	
	16. Raj Bhavan	ward No 24	
	17. Purani Vidhan sabha	ward No 33	
	18. Police Control Room	ward No 33	

No. 35-J.C.I.-Collector-Bhopal-2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K)9/08/B-3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA		Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No ,Ward No		
(1)	(2)		(3)
	Name of Villages,	Settlement, No	
Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal	1. MLA Rest House	ward No 33	Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal
	2. Satpura Bhavan	ward No 33	
	3. Vindhyachal	ward No 33	
	4. Vallabh Bhavan	ward No 33	
	5. Vidhan Sabha	ward No 33	
	6. Bhim Nagar Basti	ward No 33	
	7. Om Nagar	ward No 33	
	8. Vallabh Nagar	ward No 33	
	9. Satpura Bhavan Juggi	ward No 33	
	10. Nepali Mohalla	ward No 33	
	11. Marathi Mohalla	ward No 33	
	12. Gwala Mohalla	ward No 33	
	13. Roshanpura	ward No 24	
	14. Kumharpura Basti	ward No 33	
	15. Malviya Nagar	ward No 33	
	16. Raj Bhavan	ward No 24	
	17. Purani Vidhan sabha	ward No 33	
	18. Police Control Room	ward No 33	

No. 35-J.C.I.-Collector-Bhopal-2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K)9/08/B-3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA		Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No ,Ward No		
(1)	(2)		(3)
	Name of Villages,	Settlement, No	
Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal	1. MLA Rest House	ward No 33	Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal
	2. Satpura Bhavan	ward No 33	
	3. Vindhyaachal	ward No 33	
	4. Vallabh Bhavan	ward No 33	
	5. Vidhan Sabha	ward No 33	
	6. Bhim Nagar Basti	ward No 33	
	7. Om Nagar	ward No 33	
	8. Vallabh Nagar	ward No 33	
	9. Satpura Bhavan Juggi	ward No 33	
	10. Nepali Mohalla	ward No 33	
	11. Marathi Mohalla	ward No 33	
	12. Gwala Mohalla	ward No 33	
	13. Roshanpura	ward No 24	
	14. Kumharpura Basti	ward No 33	
	15. Malviya Nagar	ward No 33	
	16. Raj Bhavan	ward No 24	
	17. Purani Vidhan sabha	ward No 33	
	18. Police Control Room	ward No 33	

No. 35-J.C.I.-Collector-Bhopal-2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K)9/08/B-3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA		Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No ,Ward No		
(1)	(2)		(3)
	Name of Villages,	Settlement, No	
Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal	1. MLA Rest House	ward No 33	Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal
	2. Satpura Bhavan	ward No 33	
	3. Vindhyachal	ward No 33	
	4. Vallabh Bhavan	ward No 33	
	5. Vidhan Sabha	ward No 33	
	6. Bhim Nagar Basti	ward No 33	
	7. Om Nagar	ward No 33	
	8. Vallabh Nagar	ward No 33	
	9. Satpura Bhavan Juggi	ward No 33	
	10. Nepali Mohalla	ward No 33	
	11. Marathi Mohalla	ward No 33	
	12. Gwala Mohalla	ward No 33	
	13. Roshanpura	ward No 24	
	14. Kumharpura Basti	ward No 33	
	15. Malviya Nagar	ward No 33	
	16. Raj Bhavan	ward No 24	
	17. Purani Vidhan sabha	ward No 33	
	18. Police Control Room	ward No 33	

No. 35-J.C.I.-Collector-Bhopal-2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K)9/08/B-3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprnsing the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA		Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No , Ward No		
(1)	(2)		(3)
	Name of Villages,	Settlement, No	
Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal	1. MLA Rest House	ward No 33	Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal
	2. Satpura Bhavan	ward No 33	
	3. Vindhyachal	ward No 33	
	4. Vallabh Bhavan	ward No 33	
	5. Vidhan Sabha	ward No 33	
	6. Bhim Nagar Basti	ward No 33	
	7. Om Nagar	ward No 33	
	8. Vallabh Nagar	ward No 33	
	9. Satpura Bhavan Juggi	ward No 33	
	10. Nepali Mohalla	ward No 33	
	11. Marathi Mohalla	ward No 33	
	12. Gwala Mohalla	ward No 33	
	13. Roshanpura	ward No 24	
	14. Kumharpura Basti	ward No 33	
	15. Malviya Nagar	ward No 33	
	16. Raj Bhavan	ward No 24	
	17. Purani Vidhan sabha	ward No 33	
	18. Police Control Room	ward No 33	

No. 35-J.C.I.-Collector-Bhopal-2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K)9/08/B-3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprsing the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA		Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No , Ward No		
(1)	(2)		(3)
	Name of Villages,	Settlement, No	
Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal	1. MLA Rest House	ward No 33	Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal
	2. Satpura Bhavan	ward No 33	
	3. Vindhyachal	ward No 33	
	4. Vallabh Bhavan	ward No 33	
	5. Vidhan Sabha	ward No 33	
	6. Bhim Nagar Basti	ward No 33	
	7. Om Nagar	ward No 33	
	8. Vallabh Nagar	ward No 33	
	9. Satpura Bhavan Juggi	ward No 33	
	10. Nepali Mohalla	ward No 33	
	11. Marathi Mohalla	ward No 33	
	12. Gwala Mohalla	ward No 33	
	13. Roshanpura	ward No 24	
	14. Kumharpura Basti	ward No 33	
	15. Malviya Nagar	ward No 33	
	16. Raj Bhavan	ward No 24	
	17. Purani Vidhan sabha	ward No 33	
	18. Police Control Room	ward No 33	

No. 35-J.C.I.-Collector-Bhopal-2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K)9/08/B-3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA		Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No ,Ward No		
(1)	(2)		(3)
	Name of Villages,	Settlement, No	
Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal	1. MLA Rest House	ward No 33	Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal
	2. Satpura Bhavan	ward No 33	
	3. Vindhyachal	ward No 33	
	4. Vallabh Bhavan	ward No 33	
	5. Vidhan Sabha	ward No 33	
	6. Bhim Nagar Basti	ward No 33	
	7. Om Nagar	ward No 33	
	8. Vallabh Nagar	ward No 33	
	9. Satpura Bhavan Juggi	ward No 33	
	10. Nepali Mohalla	ward No 33	
	11. Marathi Mohalla	ward No 33	
	12. Gwala Mohalla	ward No 33	
	13. Roshanpura	ward No 24	
	14. Kumharpura Basti	ward No 33	
	15. Malviya Nagar	ward No 33	
	16. Raj Bhavan	ward No 24	
	17. Purani Vidhan sabha	ward No 33	
	18. Police Control Room	ward No 33	

No. 35-J.C.I.-Collector-Bhopal-2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K)9/08/B-3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA		Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No ,Ward No		
(1)	(2)		(3)
	Name of Villages,	Settlement, No	
Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal	1. MLA Rest House	ward No 33	Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal
	2. Satpura Bhavan	ward No 33	
	3. Vindhyachal	ward No 33	
	4. Vallabh Bhavan	ward No 33	
	5. Vidhan Sabha	ward No 33	
	6. Bhim Nagar Basti	ward No 33	
	7. Om Nagar	ward No 33	
	8. Vallabh Nagar	ward No 33	
	9. Satpura Bhavan Juggi	ward No 33	
	10. Nepali Mohalla	ward No 33	
	11. Marathi Mohalla	ward No 33	
	12. Gwala Mohalla	ward No 33	
	13. Roshanpura	ward No 24	
	14. Kumharpura Basti	ward No 33	
	15. Malviya Nagar	ward No 33	
	16. Raj Bhavan	ward No 24	
	17. Purani Vidhan sabha	ward No 33	
	18. Police Control Room	ward No 33	

No. 35-J.C.I.-Collector-Bhopal-2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K)9/08/B-3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprnsing the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA		Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No , Ward No		
(1)	(2)		(3)
	Name of Villages,	Settlement, No	
Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal	1. MLA Rest House	ward No 33	Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal
	2. Satpura Bhavan	ward No 33	
	3. Vindhychal	ward No 33	
	4. Vallabh Bhavan	ward No 33	
	5. Vidhan Sabha	ward No 33	
	6. Bhim Nagar Basti	ward No 33	
	7. Om Nagar	ward No 33	
	8. Vallabh Nagar	ward No 33	
	9. Satpura Bhavan Juggi	ward No 33	
	10. Nepali Mohalla	ward No 33	
	11. Marathi Mohalla	ward No 33	
	12. Gwala Mohalla	ward No 33	
	13. Roshanpura	ward No 24	
	14. Kumharpura Basti	ward No 33	
	15. Malviya Nagar	ward No 33	
	16. Raj Bhavan	ward No 24	
	17. Purani Vidhan sabha	ward No 33	
	18. Police Control Room	ward No 33	

No. 35-J.C.I.-Collector-Bhopal-2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K)9/08/B-3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA		Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No ,Ward No		
(1)	(2)		(3)
	Name of Villages,	Settlement, No	
Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal	1. MLA Rest House	ward No 33	Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal
	2. Satpura Bhavan	ward No 33	
	3. Vindhyachal	ward No 33	
	4. Vallabh Bhavan	ward No 33	
	5. Vidhan Sabha	ward No 33	
	6. Bhim Nagar Basti	ward No 33	
	7. Om Nagar	ward No 33	
	8. Vallabh Nagar	ward No 33	
	9. Satpura Bhavan Juggi	ward No 33	
	10. Nepali Mohalla	ward No 33	
	11. Marathi Mohalla	ward No 33	
	12. Gwala Mohalla	ward No 33	
	13. Roshanpura	ward No 24	
	14. Kumharpura Basti	ward No 33	
	15. Malviya Nagar	ward No 33	
	16. Raj Bhavan	ward No 24	
	17. Purani Vidhan sabha	ward No 33	
	18. Police Control Room	ward No 33	

By the order and in the name of the Governor Madhya Pradesh,
SUDAM P. KHADE, Collector & Ex-officio Dy. Secy.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सांवेर
जिला-इन्दौर मध्यप्रदेश

क्रमांक 246-भू-अर्जन-2018-19

सांवेर, दिनांक 22 जनवरी 2019

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक 23-अ-82-2017-18.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन-उज्जैन पाईपलाइन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::


जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	कदावली बुजुर्ग, प.ह.नं.- 61	291/3	0.004
			320/1/1	0.034
			320/1/2/1	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	कदावली बुजुर्ग, प.ह.नं.- 61	326/1/3	0.005
			326/2/1	0.026
			326/2/2	0.023
			362	0.004
			363/1	--
			381/1	0.008
			327/1	0.009
			327/5	0.005
			353/1/5	0.008
			327/2	0.005
			327/3	0.005
			327/4	0.007
			327/6	0.007
			327/9	0.004
			353/1/6	0.008
			327/7	0.006
			327/8	0.005
			328/1/1	0.009
			328/1/2	0.009
			328/2/1	0.013
			328/2/2	0.011
			336	0.029
			345/2	0.014
			350/2	0.014
			357	0.013
			359	0.010
			360	0.007
			363/3	0.005
			380/1	--
			381/3	--
			380/2	0.007
			373/1	0.011
			378/1	0.004
			378/2	0.005
			378/3	0.005
			378/4	0.004
379/1	0.003			
379/2	0.004			



Amal

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	कदावली बुजुर्ग, प.ह.नं.- 61	458/2/1	0.010
			460/1	0.008
			458/2/2	0.005
			460/2	0.010
			476/2/1	0.007
			476/2/5	0.006
			485/1	0.020
			476/2/4	0.010
			476/2/6	0.002
			476/2/8/1	0.007
			483/1	0.017
			643/1/1	0.021
			643/1/2	0.021
			661/2	0.020
			675/1	0.035
			646/1	0.032
			646/2/1	0.019
			661/1	0.023
			675/2	0.035
			662/1	0.033
			709/1/1	0.017
			709/2/1	0.006
			718/1/1/2	0.009
			709/1/2	0.012
			709/2/2	0.013
			718/1/1/3	0.016
			718/1/1/1	0.014
			709/1/4	0.010
			709/2/4	0.013
			718/1/1/4	0.014
			718/2/1	0.009
			718/2/2	0.021
718/2/3	0.037			
725/2	0.011			
कुल योग			72	0.897



क्रमांक 253-भू-अर्जन-2018-19

क्रमांक 25-अ-82-2017-18.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	पीरकराडिया, प.ह.नं.- 53	103/2/2	0.012
			103/2/3	0.006
			106/2	0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	पीरकराडिया, प.ह.नं.- 53	262/3/2	0.008
			107	0.017
			108	0.009
			112/1	0.012
			119	0.024
			145/2	0.032
			146	0.010
			149/1	0.012
			149/2	0.013
			149/3	0.013
			151	0.023
			261	0.015
			271	0.002
			152	0.021
			210	0.030
			227/1/2	0.014
			227/2	0.004
			228	0.011
			229/2	0.012
			257	0.016
			257/617	0.014
			265/1	0.013
			265/2	0.018
			265/3	0.006
			267/1	0.005
			268	0.011
			269	0.011
			270	0.011
कुल योग			31	0.412



क्रमांक 258-भू-अर्जन-2018-19

क्रमांक 27-अ-82-2017-18.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बरोदा अर्जुन, प.ह.नं.- 53	215/7	0.021
			217	0.012
			228/3 पैकी	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
इन्दौर	सावेर	बरोदा अर्जुन, प.ह.नं.- 53	226/1	0.009			
			227/1	0.004			
			226/2	--			
			227/2	0.007			
			226/3	--			
			227/3	0.010			
			228/1	0.005			
			228/3	0.014			
			332	0.016			
			358	0.009			
			370/1	0.022			
			357	0.012			
			333/2/1	0.016			
			335/2/1	0.014			
			336/2	0.005			
			337/2	0.016			
			337/483	0.011			
			339/1/2/1	0.008			
			338	0.008			
			339/1/2/2	0.022			
			347/1/2	0.004			
			347/1/3	0.008			
			347/1/4	0.007			
			347/2	0.006			
			347/4	0.007			
			347/5	0.005			
			347/8	0.002			
			347/3	0.010			
			347/6	0.007			
			348/1	0.016			
			इन्दौर	सावेर	बरोदा अर्जुन, प.ह.नं.- 53	348/2	0.025
						351/2/1	0.002
			351/2/2	0.002			
			351/4/3/2	0.006			
			351/3	0.013			
			351/5	0.008			
कुल योग			37	0.385			

क्रमांक 264-भू-अर्जन-2019

क्रमांक 24-अ-82-2017-18.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
		3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बुडी बरलाई, प.ह.नं.- 52	72/3/2/1	0.006
			72/3/2/2	0.006
			72/3/2/3	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बुडी बरलाई, प.ह.नं.- 52	73/1	0.008
			78/2/1	0.020
			73/2	0.010
			78/1/1	0.030
			79/1/3	0.022
			87/1	0.022
			79/1/4	0.026
			87/2/3	0.012
			87/3	0.014
			88/2	0.007
			89/2/1	0.013
			89/1/1	0.034
			89/1/2	0.017
			89/2/2	0.009
			89/3/1	0.013
			89/3/2	0.014
			111/2	0.035
			141/1	0.008
			144/2	0.026
			145/1/1	0.019
			144/3	0.003
			145/1/3/1	0.030
			156/1/1/1	0.021
			165/1	0.004
			165/2	0.018
			175/4/2	0.005
168/1/1	0.026			
168/1/3	0.005			
168/1/4	0.008			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बुढी बरलाई, प.ह.नं.- 52	174/2	0.064
			177/3/1	0.011
			177/3/2	0.004
			191/5	0.005
कुल योग			36	0.581

क्रमांक 269-भू-अर्जन-2019

क्रमांक 26-अ-82-2017-18.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	ग्राम- पुवार्ड दाई, प.ह.नं.- 48	329/1/1	0.004
			331/1/1	0.014
			329/2/1/1	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
इन्दौर	साँवेर	ग्राम- पुवाँर्ड दाई, प.ह.नं.- 48	329/2/2/1	0.005			
			339/2/1	0.014			
			330/3/1	0.002			
			330/3/2/1	0.005			
			340/1	0.004			
			344/1	0.007			
			354/712/2/3	0.020			
			449/26/2	0.010			
			345/1/1	0.006			
			345/2/1	0.006			
			345/3/1	0.005			
			350/1	0.017			
			353/2	0.008			
			354	0.033			
			355	--			
			442/1/2/मीन 2	0.004			
			442/3	0.027			
			442/4/2	0.022			
			442/8	0.008			
			449/23	0.017			
			449/28	0.004			
			449/35	0.010			
			462/697/1/1	0.034			
			464/1/1	0.004			
			464/3/3	0.010			
			464/1/2	0.004			
			464/3/4	0.013			
			464/3/1/1	0.001			
			467	0.019			
			510	0.040			
			511/2	0.033			
			512/1/1/1	0.008			
			512/1/1/2	0.009			
			512/2	0.007			
			643/1	0.040			
			512/3/1	0.010			
			512/3/2	0.006			
			इन्दौर	साँवेर	ग्राम- पुवाँर्ड दाई, प.ह.नं.- 48	512/4/1	0.010
						512/4/2	0.010
						644/1	0.025
						644/3	0.023
			कुल योग			43	0.563

बिहारी सिंह, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. B-103-दो-2-61-2017.—श्री बी. एस. औहरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 13 से 14 दिसम्बर 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. औहरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. औहरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-105-दो-2-65-2018.—श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-107-दो-2-50-2011.—श्री प्रदीप कुमार व्यास, डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार व्यास, डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार व्यास, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-240-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 1 से 7 दिसम्बर 2018 तक, सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-242-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 17 से 26 दिसम्बर 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-244-दो-2-34-2014.—श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-257-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-259-दो-2-46-2017.—श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 एवं 23 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2019

क्र. D-295-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2018 तक, छह दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के स्थानीय अवकाश सहित दिनांक 30 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-297-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुँरैना को दिनांक 10 से 11 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुँरैना को मुँरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-299-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्द्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2018 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्द्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्द्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-301-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 10 से 12 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2018 तक, पांच दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-303-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 7 से 12 जनवरी 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 जनवरी 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-305-दो-2-8-2012.—श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2019

क्र. A-122-दो-2-34-2018.—कु. नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 11 से 12 दिसम्बर 2018 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 29 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर कु. नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2019

क्र. D-419-दो-2-70-2017.—श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2018 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-421-दो-2-41-2013.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-423-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2018 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर

2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. D-238-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री भारत सिंह औहरिया, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 के अनुसार श्री औहरिया को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 210
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 90

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=210 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश= _____ X 90
के एवज में नगद 30
भुगतान.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 3rd January 2019

No. 01-CJ-II-877.—WHEREAS, a enquiry has been ordered to be initiated against Shri Rambresh Yadav, Vth Additional District & Sessions Judge, Katni for committing acts of grave misconduct.

AND, WHEREAS, Serious nature of acts of misconduct warrant his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary, Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of M. P. Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court hereby places Shri Rambresh Yadav, Vth Additional District & Sessions Judge, Katni under suspension with the headquarters at Rewa. The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

Jabalpur, the 7th January 2019

No. 06-CJ-II-1000.—WHEREAS, a enquiry has been ordered to be initiated against Shri Rakesh Kumar Singh, II Additional District & Sessions Judge, Alirajpur for committing acts of grave misconduct.

AND, WHEREAS, Serious nature of acts of misconduct warrant his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary, Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of M. P. Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court hereby places Shri Rakesh Kumar Singh, II Additional District & Sessions Judge, Alirajpur under suspension with the headquarters at Mandsaur. The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court,
PRAKASH CHANDRA GUPTA, Principal Registrar
(vigilance).

Jabalpur, the 7th January 2019

No.C-93-I-7-3-2018 (Part-I).—The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2019 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, is hereby published for general information:—

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1	New Year's Day	01-01-2019	Tuesday
2	Republic Day	26-01-2019	Saturday
3	Mahashivratri	04-03-2019	Monday
4	Holi (Dhuredi)	21-03-2019	Thursday
5	Bhai Dooj	22-03-2019	Friday
6	Gudi Padwa/Chaiti Chand	06-04-2019	Saturday
7	Ramnavmi	13-04-2019	Saturday
8	Mahaveer Jayanti	17-04-2019	Wednesday
9	Good Friday	19-04-2019	Friday
10	Id-UI-Fitar	05-06-2019	Wednesday
11	Id-UI-Zuha	10-08-2019	Saturday
12	Independence Day/Raksha Bandhan	15-08-2019	Thursday
13	Janmashtmi	23-08-2019	Friday
14	Ganesh Chaturthi	02-09-2019	Monday
15	Moharrum	10-09-2019	Tuesday
16	Sarv Pitra Moksha Amavasya	28-09-2019	Saturday
17	Gandhi Jayanti	02-10-2019	Wednesday
18	Dussehra (8-10-2019)	07-10-2019 08-10-2019 09-10-2019 10-10-2019	Monday Tuesday Wednesday Thursday
19	Depawali (27-10-2019 Sunday)	25-10-2019 26-10-2019 28-10-2019 29-10-2019	Friday Saturday Monday Tuesday
20	Gurunanak Jayanti	12-11-2019	Tuesday
21	Christmas Day	25-12-2019	Wednesday
Total: <u>27 Days</u>			

NOTES:—

1. Dr.Ambedkar Jayanti/ Baisakhi Dated 14 April 2019, Deepawali Dated 27 October 2019, Id-milad un-Nabi dated 10 November 2019, falls on Sunday & Buddh Purnima dated 18 May 2019, fall on closed Saturday, therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays, falling on 19th January, 16th February, 16th March, 20th April, 18th May, 15th June, 20th July, 17th August, 21st September, 19th October, 16th November, 21st December will be closed Saturdays for Subordinate Court.
3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 20th May, 2019 to 14th June, 2019 and Winter Vacation From 23rd December 2019 to 31st December, 2019.
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.
5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
6. The holidays in respect of Id-ul-Fitar, Id-ul-Zuha, Moharrum and Id-milad un-Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon.

ARVIND KUMAR SHUKLA, Registrar General.
